

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(9)वित्त/नियम/2015

जयपुर, दिनांक : 19 MAR 2021

परिपत्र

वित्त (आय-व्यय) विभाग के परिपत्र प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्यय/2020 दिनांक 03.09.2020 के बिन्दु संख्या 1(iii) के द्वारा राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान की नई स्वीकृतियां जारी करने पर रोक लगाई थी, उक्त रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ/2020-21/ 416

दिनांक : 25/3/21

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. निजी सचिव-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
5. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार /मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी-I/II/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी-(Payment), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
10. कार्यालय प्रति।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त)
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर